न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 358/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 हुकमाराम पुत्र धर्माराम जाति सांसी निवासी सांसियों का तला तहसील व जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर 2 लालू 3 हडमत पिसरान हुकमा (हुकमा पुत्र केसरा) जाति सांसी निवासी सांसियों का तला 4 गीता पत्नी धर्माराम 5 दलाराम 6 धरमाराम 7 हेमाराम पिसरान सगताराम जाति गुरड़ा निवासी जोगियों की दड़ी, बाडमेर 8 सुमन पत्नी अनिल कुमार जाति गुरडा निवासी इन्द्रा कॉलोनी बाडमेर 9 सोना पत्नी केवलराम जाति सांसी निवासी सांसियों का तला तहसील व जिला बाडमेर 10 कमलादेवी पत्नी नारायण जाति सांसी निवासी सांसियों का तला तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री मनोज पारीक, वकील प्रार्थी।
2 श्री राजेश विश्नोई, वकील अप्रार्थी संख्या 03।
3 श्री राजेन्द्र शर्मा, वकील अप्रार्थी संख्या 10।
4 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 11/10/23

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पैतृक खातेदारी का खेत मौजा सांसियों का तला पटवार क्षैत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1084/646 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि का आया हुआ है। वादग्रस्त खेत मूल खसरा संख्या 646 का कुल रकबा 17.03 बीघा भूमि वक्त सेटलमेन्ट धर्मा व उसके भाई चनणा के नाम पर्चा लगान जारी हुआ। धर्मा के फौत होने पर प्रार्थी एवं उनके भाईयों के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन हुआ। वर्तमान में वादग्रस्त खेत में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। प्रार्थी की जीवित होने के उपरान्त भी किसी अन्य हुकमा पुत्र केसरा के फौत होने पर उनकी फौतगी नामान्तकरण संख्या 50 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में खसरा संख्या 646 के सम्बन्ध में स्वीकृत कर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया गया, प्रार्थी के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के नाम दर्ज कर दी गई। प्रार्थी के लड़कों का नाम हड़मत व लालू नही है। प्रार्थी के पुत्रों का नाम मनोज व शंकर है। प्रार्थी की अन्य खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2080/522, 678, 641, 676, 676/2, 651, 2035/648 कुल रकबा 123.06 बीघा भूमि में भी प्रार्थी को फौत बताकर नामान्तकरण संख्या 49 स्वीकृत कर दिया गया। उक्त के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जो आवेदन संख्या 80/1995 पर दर्ज हुआ जिस पर दिनांक 01.12.1995 पर आदेश पारित कर राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के स्थान पर पुनः प्रार्थी का नाम संशोधित किया गया था। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद

किया जा चुका है परन्तु भूलवंश उक्त भूमि पीछे रह गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का नाम आज दिन तक दर्ज है। प्रार्थी अनपढ होने से उक्त प्रविष्टी का ज्ञान नही रहा। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सांसियों का तला पटवार क्षैत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1084/646 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी का नाम दर्ज कर 1/6 हिस्सा खातेदारी में अंकित कर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का नाम राजस्व रेकर्ड हटाया जावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 03 व वकील अप्रार्थी संख्या 10 उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा।

वकील अप्रार्थी संख्या 03 ने शपथ पत्र/जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी मौजा सांसियों का तला पटवार क्षैत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1084/646 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि में रेकर्ड दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन में प्रार्थी का वादग्रसत भूमि में 1/6 हिस्से का खातेदार है तथा नामान्तकरण संख्या 50 भूलवंश खसरा संख्या 646 के स्वीकृत कर दिया गया था, जबकि हुकमा पुत्र धर्मा जीवित है, जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 03 व उसके भाई लालु के नाम चढ गया जो गलत है। वास्तव में वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का कब्जा काश्त है। लालुराम की मृत्यु बाल्यकाल लाऔलाद में हो गई है तथा श्रीमती राधा की भी देहान्त हो गया है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 646 के रकबा 17.03 बीघा (2.6952) हैक्टेयर का 1/6 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 03 को कोई आपति नही है।

वकील अप्रार्थी संख्या 10 ने जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार किया। तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक भू.अ./2023/2521 दिनांक 11.10.2023 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट उपलब्ध करवाई कि मौजा सांसियों का तला पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1084/646 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में मूल खसरा संख्या 646 में प्रार्थी के पिता धर्मा पुत्र बीजाराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज था। स्व. धर्मा पुत्र बीजाराम की मृत्यु पश्चात प्रार्थी व उसके भाईयों कंकू केवल व हुकमा (प्रार्थी) के नाम संयुक्त खातेदारी में 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज हो गया था। प्रार्थी हुकमा पुत्र धर्मा जीवित है, जबकि प्रार्थी के हमनाम हुक्मा पुत्र केसरा की मृत्यु होने पर तत्कालीन ग्राम महाबार पीथल के नामान्तकरण संख्या 49 व 50 द्वारा प्रार्थी के स्थान पर हुक्मा पुत्र केसरा के वारिशान लालू व हड़मत पिसरान हुक्मा के नाम दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा नामन्तकरण संख्या 49 के विरूद्ध श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के न्यायालय में आवेदन संख्या 80/1995 पेश किया जिसमे प्रार्थी के पक्ष में निर्णय दिनांक 01.12.1995 को प्रार्थी के पक्ष में निर्णय कर लालू हड़मत पिसरान हुक्मा का नाम हटाकर पुनः प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया। उक्त आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

संख्या 50 की अपील/आवेदन प्रस्तुत नही की गई, जिससे प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा संख्या 1084/646 में प्रार्थी का नाम पुनः दर्ज नही हो सका। हड़मत पुत्र हुक्मा द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज हिस्से अनुसार कमला पत्नी नारायण को बेचान करने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कमला का नाम हड़मत पुत्र हुक्मा के स्थान पर दर्ज है तथा लालू पुत्र हुक्मा कई वर्ष पूर्व फौत हो गया। मौके पर 1/6 हिस्से में प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। उपस्थिति मौत बिरान से पूछने पर ज्ञात हुआ कि हड़मत लालू पिसरान हुक्मा अथवा क्रेता कमला का कब्जा काश्त उक्त खसरे में नही है तथा कमला का नाम हटाया जाता है तो कमला को कोई आपति नही है। चूंकि प्रार्थी आज भी जीवित है तथा ग्राम महाबार पीथल के नामान्तकरण संख्या 50 द्वारा सहवन से प्रार्थी के हमनाम हुक्मा पुत्र केसरा के वारिशान का नाम दर्ज हो गया था। अतः मौजा सांसियों का तला पटवार क्षैत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1084/646 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित नाम लालू पुत्र हुक्मा तथा कमला पत्नी नारायण के स्थान पर प्रार्थी हुक्मा पुत्र धर्मा का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2075–2078, नक्शों, नामान्तकरण संख्या 50 का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के मद्देनजर अनुसार प्रार्थी आज भी जीवित है तथा ग्राम महाबार पीथल के नामान्तकरण संख्या 50 द्वारा सहवन से प्रार्थी के हमनाम हुक्मा पुत्र केसरा के वारिशान का नाम दर्ज हो गया था। क्रेता कमला पत्नी नारायण ने भी उक्त अकंन होने पर अनापति पेश की है। अतः मौजा सांसियों का तला पटवार क्षैत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1084/646 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित नाम लालू पुत्र हुक्मा तथा कमला पत्नी नारायण के स्थान पर प्रार्थी हुक्मा पुत्र धर्मा का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की भूमि में नामान्तकरण संख्या 49 व 50 ग्राम महाबार पीथल दर्ज किये गये थे, जो कि सम्मान प्रवृति के थे। नामान्तकरण संख्या 49 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा आवेदन संख्या 80/1997 में आदेश दिनांक 01.12.1995 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार का प्रार्थी का नाम पुनः दर्ज/अंकन करने का पारित किया गया। अतः मौजा सांसियों का तला पटवार क्षैत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1084/646 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि में अंकित नाम लालू पुत्र हुक्मा तथा कमला पत्नी नारायण के स्थान पर प्रार्थी हुकमा पुत्र धर्मा का हिस्सा 1/6 खातेदारी में अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सांसियों का तला पटवार क्षैत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1084/646 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि में अंकित नाम लालू पुत्र हुक्मा तथा कमला पत्नी नारायण के स्थान पर प्रार्थी हुकमा पुत्र धर्मा का हिस्सा 1/6 खातेदारी में अंकित कर रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 11/10/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर